



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1995/माघ 14, 1916

No. 68]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1995/MAGHA 14, 1916

राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी (आचरण)

विनियम, 1994

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1995

का.आ. 77(अ) —राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-I

प्रारंभिक-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये राष्ट्रीय आवास बैंक के अत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर लागू होंगे जब तक कि संविदा करार या

नियुक्ति पत्र की शर्तों में अन्यथा न हो परन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(क) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, और

(ख) अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारी।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :

(क) "अधिनियम" से अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ इन विनियमों के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ग) "परिवार" का अर्थ—

(1) पुरुष कर्मचारी के मामले में उसकी पत्नी, चाहे वह उसके साथ रह रही है या नहीं, परन्तु कानूनी तौर पर अलग हुई पत्नी शामिल नहीं है और महिला कर्मचारी के मामले में उसका पति, चाहे उसके साथ रह रहा है या नहीं, परन्तु कानूनी तौर पर अलग हुआ पति शामिल नहीं है;

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम/श्रेणी	अनुशासन प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
1.	(i) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-I मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-II और III (ii) लिपिकीय कर्मचारी (iii) अधीनस्थ कर्मचारी	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
2.	वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-IV और-V	महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3.	उच्च प्रबंध ग्रेड स्केल-VI और VII	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	बोर्ड की समिति
4.	उच्च प्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक और कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	बोर्ड की समिति	पूर्ण बोर्ड

[फा०सं० एन०एच०बी० (एन०डी०) स्टाफ/पी०ओ०एल०/26- डिस्पि/95]
बोर्ड के आदेशानुसार
पी०के० हंडा, महा प्रबंधक

NATIONAL HOUSING BANK EMPLOYEES'
REGULATIONS, 1994
NOTIFICATION

(Discipline and Appeals)

New Delhi, the 3rd February, 1995

S.O. 77A(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—
(1) These regulations may be called the National Housing Bank Employees' (Discipline and Appeals) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to every whole-time employee of the National Housing Bank unless otherwise provided by the terms of any contract, agreement or letter of appointment but shall not apply to:—

(a) the Chairman and the Managing Director, and

(b) staff employed temporarily.

2. Definitions.—In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(b) "Appellate Authority" means the authority specified in the Schedule to dispose of appeals;

(c) "Competent Authority" means the authority appointed by the Board for the purposes of these regulations;

(d) "Disciplinary Authority" means the authority specified in the Schedule which is competent to impose on an Employee any of the penalties specified in regulation 4;

(e) "Government" means the Central Government;

(f) "public financial institution" means—

(i) the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company formed and registered under the Indian Companies Act, 1913 (7 of 1913);

(ii) the Industrial Finance Corporation of India, established under section 3 of

